

उद्योग / इकाई खोलने हेतु स्वयं घोषणा-पत्र

संगठन/यूनिट का नाम :
आवेदक का नाम :
जी०एस०टी० / पैन / टिन :
उद्योग / इकाई का पता / स्थान :
जिला :
ई-मेल का पता :
मो०सं० :
उद्योग (माइक्रो / स्माल / एस.एम.ई. / लार्ज / मेगा) :
उद्योग की श्रेणी (शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुसार) :
कर्मचारियों की संख्या :

कर्मचारियों का विवरण :

क्र० सं०	नाम	पदनाम	इकाई द्वारा जारी आई०डी० नं०	मोबाईल नं०

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या -381/2020 /सीएक्स-3 दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP). का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सम्बन्धित इकाई के प्रमुख
का हस्ताक्षर सहित नाम / पदनाम